BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 446/2025

IN THE MATTER OF:

ANUP **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **RESPONDENTS**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Status Report On behalf Of Respondent – District Magistrate, Bijnor, with Affidavit.	1-6
2.	**Annexure P/1:-** True copy of the letter No. 1044/N-71/General-2025 dated 11.11.2025 alongwith photographs of the inspection site.	7-8
3.	**Annexure P/2:-** True copy of the Fireworks Manufacturing License No. 118/2011 (Format-20)	9
4.	**Annexure P/3:-** True copy of the notarized affidavit dated 21.11.2025 submitted by the unit owner	10-13
5.	**Annexure P/4:-** True copy of Letter No. 2265/BIJ0-25 dated 21.11.2025	14-15

6.	**Annexure P/5:-** True copy of the case status of Sessions Trial No. 1736 of 2024, Crime No. 136 of 2024	16
7.	**Annexure P/6:-** True copy of letter dated 29/11/2025 to Secretary/Relief Commissioner, Govt. of U.P	17-18

Date:29/11/2025 **THROUGH**

Priyanka

Place: New Delhi

Priyanka swami
Advocate
Standing Counsel for State of U.P
F-13, Jangpura, New Delhi 110014

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 446/2025

NOTARY
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)
NOTARIAL NOTARIAL
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

IN THE MATTER OF:

ANUP **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS **RESPONDENTS**

STATUS REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT-DISTRICT MAGISTRATE, BIJNOR, WITH AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Jasjit Kaur, D/o Shri Parminder Singh age about 41 years posted as District Magistrate, District Bijnor, do hereby solemnly affirm, as under:

1. I am District Magistrate, District Bijnor, I submit this affidavit in compliance with the order dated 10.09.2025 passed by this Hon'ble Tribunal in the above Original Application.
2. In compliance with the said order, the office of the District Magistrate, Bijnor, issued letter No. 1044/N-71/General-2025 dated 11.11.2025, constituting a Joint Inspection Team. The team comprised the following officers:

a) Sub-Divisional Magistrate, Tehsil Sadar, District Bijnor;

b) (Regional Officer (Police), Sadar, District Bijnor;

c) Chief Fire Officer, Bijnor;

d) Assistant Labour Commissioner (Labour Department), Bijnor; and

e) Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bijnor.

True copy of the letter No. 1044/N-71/General-2025 dated 11.11.2025 alongwith photographs of the inspection site is attached herewith and marked as Annexure P/1.

NOTARY GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH Gajendra Pal Singh Advocate Notary Bijnor (U.P.) R.No -64/19/2008

3. The above-constituted Joint Inspection Team conducted its inspection of the firecracker factory site (Jhalhu-Gangora Jat Road, Khasra No. 252-ख ,area 0.0950 hectare, Village Hasanpur Qazi, Tehsil and District Bijnor) on 20th November 2025. During the site visit, it was observed that the factory premises were closed, with no plant machinery installed and no work being carried on.

4. Mr. Ambar Abbas, son of Nayyar Qazim (resident of Mohalla 51/13, Rasuldaran, Town Nehtaur, Tehsil Dhampur, District Bijnor), the owner of the factory, was present at the time of inspection.

5. That during the inspection, the unit representative, Mr. Ambar Abbas, produced the Fireworks Manufacturing License No. 118/2011

(Format-20) issued to the unit, which authorizes the manufacturing of fireworks at Khasra No. 252-ख, Village Hasanpur Qazi. The license is valid up to 31.03.2028. **True copy of the Fireworks Manufacturing License No. 118/2011 (Format-20) is attached herewith and marked as Annexure P/2.**

6. That separately, Mr. Ambar Abbas also submitted a notarized affidavit dated 21.11.2025, wherein he stated that the unit commenced operations in February 2024 and that no manufacturing activity has been carried out since the accident on 19.05.2024. The affidavit further contains statements regarding the unit's operational status and licensing details. **True copy of the notarized affidavit dated 21.11.2025 submitted by the unit owner is attached herewith and marked as Annexure P/3.**

NOTARY Gajendra Pal Singh Advocate Notary Bijnor (U.P.) R.No.-64(19)/2008 GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

7. It is recorded in the affidavit and related records that operations at the unit commenced in February 2024, and that no manufacturing activity has taken place since the accident on 19.05.2024.

8. Three workers died in the explosion at the said fireworks factory on 19.05.2024. The names and details of the deceased workers, their dependents, and the compensation amounts assessed under the Employees' Compensation Act are as follows:

S. No.	Name, Age and Salary of the Deceased (with D.O.B.)	Dependents (Name and Relationship)	Compensation	Amount (Rs.)
1	**Chinku (s/o Shri Anoop Kumar)** Age 19 years (D.O.B. 08.05.2005); Salary ₹10,648/- per month Village Khari, Tehsil and, Dist. Bijnor	Shri Anoop Kumar (father) Smt. Roopa Devi (mother)	$\frac{226.38 \times ₹10,648}{2}$	12,05,247.12
2.	**Amit (s/o Shri Kulveer Singh)** Age 27 years (D.O.B. 02.04.1997); Salary ₹10,648/- per month Village Gopalpur, Dist. Bijnor	Smt. Aadesh Devi (mother) Shri Kulveer Singh (father)	$\frac{213.57 \times ₹10,648}{2}$	11,37,046.68
3.	**Rajat Kumar Ravi (s/o Shri Omprakash)** Age 25 years (D.O.B. 10.02.1999); Salary ₹10,648/- per month Village Gopalpur, Dist. Bijnor	Smt. Archana (wife) Shri Omprakash (father)	$\frac{216.91 \times ₹10,648}{2}$	11,54,828.84

NOTARY GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH Gajendra Pal Singh Advocate Notary Bijnor (U.P.) R.No. 64(13)/2008

7. To facilitate payment of the above amounts, the office of the Labour Department issued notice to the service provider by Letter No. 2265/BIJ0-25 dated 21.11.2025. It is also recorded that, on receiving information about the fire on 19.05.2024, the Bijnor Fire

Service unit reached the factory and completely extinguished the fire. **True copy of the said letter is attached herewith and marked as Annexure P/4**

8. A criminal case (Sessions Trial No. 1736 of 2024, Crime No. 136 of 2024) under Sections 304 and 336 IPC and Section 9(b) of the Explosives Act is pending against the accused – namely, Shanu alias Tajuddin s/o Riyazuddin and Ambar Abbas s/o Nayyar Qazim– in the Court of Sessions, Bijnor. The next hearing in that case is fixed on 10.12.2025. **True copy of the case status of Sessions Trial No. 1736 of 2024, Crime No. 136 of 2024 is attached herewith and marked as Annexure P/5.**

9. That the deponent has further requested the Secretary/Relief commissioner Govt. of U.P. vide letter dated 28/11/2025 requesting funds for compensation as per the order of the Hon'ble Tribunal. **True copy letter dated 29/11/2025 requesting funds for compensation is attached herewith and marked as Annexure P/6**

10. The above statements are true to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Bijnor on this 29 day of November 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
GOVERNMENT OF INDIA
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)

DEPONENT

Date:29 /11/2025

THROUGH

Priyanka

Place: New Delhi

Priyanka swami
Advocate
Standing Counsel For Sate of U.P
F-13, Jangpura, New Delhi 110014

Sworn before me on this 29 day of the Nov 2025
by Jagjit Kaur
who has been identified by Priyanka Swami
who is personally known to me Adv.
whose signature (S) is/are here it appended.

29/11/2025.
Gajendra Pal Singh
NOTARY,
BIJNOR-246701 (U.P.)

Annexure P/1

पटाखा फैक्ट्री, झालू–गंगोड़ा जट रोड, ग्राम–हसनपुर काजी, तहसील व जिला–बिजनौर के निरीक्षण दिनांक–20.11.2025 को खीचें गये फोटोग्राफ्स।

Scanned with OKEN Scanner

—:कार्यालय आदेश:—

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन OA No.- 446/2025 (I.A. No. 586/2025), Anup & Ors. में पारित आदेश दिनांक—10.09.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है:—

"1. In this original application, the applicants are claiming the compensation on account of the death of the 3 persons which occurred due to a massive explosion in a firecracker factory on 19.05.2024 in Jhalu village, PS Haldor, District Bijnor, Uttar Pradesh. The applicants alleges that the Respondent No. 4 and 5 were running the firecracker manufacturing unit where the massive explosion took place and following 3 persons had died: -

i) Chinku s/o Anup Kumar village Khari Dist. Bijnor (Son of Applicant no. 1)
ii) Amit s/o Kulveer Singh, village Gopalpur, Dist. Bijnor (Son of Applicant no. 2)
iii) Rajat s/o Omprakash, village Gopalpur, Dist. Bijnor (Son of Applicant no. 3)

.....3. Issue notice to the Respondents. Ms. Priyanka Swami, Advocate accepts notice on behalf of Respondent No. 1 and 3 and seeks four weeks' time to file the reply by way of affidavit. The applicant is directed to serve the other respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4. List on 01.12.2025.

अतः प्रकरण की संयुक्त जांच हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों की समिति गठित करते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर आख्या अगली नियत सुनवाई के दृष्टिगत संयुक्त जांच/कार्यवाही सम्बन्धी आख्या अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अनुपालन आख्या/reply मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय दाखिल करायी जा सकें।

1. उप जिलाधिकारी, तहसील—सदर, जनपद—बिजनौर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), सदर, जनपद—बिजनौर।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, बिजनौर।
4. सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), बिजनौर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी
बिजनौर

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

पत्रांक—1044/N-71/जनरल-2025 दिनांक—11-11-2025

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, तहसील—सदर, जनपद—बिजनौर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), सदर, जनपद—बिजनौर।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, बिजनौर।
4. सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), बिजनौर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

जिलाधिकारी
बिजनौर

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-2

Form -20

(See Rule – 155) Article 1 (A) - (D) of Schedule IV)
License to Manufacture , Explosives) Fire Works License for Manufa
Storage , Sale , & Transportation

License No:- 118/2011

Fee Rs:- 20/ (Per Year)

Licensed is here by granted to Mr. अम्मार अब्बास पुत्र श्री नरगर काज़िम नि० मो० खुशालदारान नहटौर P.S. नहटौर जिला बिजनौर
Valid only for the manufacturing of (150) kg at any one time per year at the premises described below subject to the provision of Explosive act, 1884 as amended from time to time and the rules, framed there under and to the conditions of this License.

This License shall remain valid till 31st day of March 2012

This License is label to be suspended or revoked for any violation of the act or rules, framed there under or the condition of this License or if the Licensed premises are not found confirming to the description shown in the attach plans and Annexure.

Description of the Licensed Premises:-

The Licensed Premises shown in plan attach here to situated at ग्राम ... नहटौर [illegible] (खाता सं० 86) क्षे० 0.093 हे० District :- BIJNOR, and consist of postal Address of the License (BIJNOR) U.P.

जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 8.06.2023 के अन्तर्गत आवेदक अम्मार अब्बास S/o श्री नरगर काज़िम निवासी 61/13 खुशालदारान PS नहटौर के आतिशबाजी लाइसेंस सं० 118/2011 के फार्म बीस (20) पर [illegible] ग्राम [illegible] परगना [illegible] तह० व जिला बिजनौर के [illegible] चौहद्दी के अनुसार पूर्व में खेत [illegible] पश्चिम में बाग [illegible] उत्तर में [illegible] [illegible] रास्ता परिवर्तित किया जाता।

SEAL

The 25/1/2011 D.M के आदेश [illegible] 2023 DISTRICT MAGISTRATE
31-11-2019 19-05-2011 को जारी BIJNOR

Renewed up to

O.C. (Arms) BIJNOR

ENDORSMENT FOR RENEWAL OF LICENSE

DATE OF RENEWAL	DATE OF EXPIRY	SIGNATURE OF LICENCING AUTHORITY
19.5.2011 31-3-14 Renewed up to 31-3-2015 6/11/12 O.C. (Arms) BIJNOR 3-7-2014	31-3-2012 31-3-2014 31-3-2015 31-3-2016 31-3-2019 31-3-2028 Renewed up to 31-3-2016 O.C. (Arms) BIJNOR 1/[illegible]	जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर के आदेश दिनांक 25-1-2011 के अन्तर्गत आतिशबाजी विनिर्माण एवं विक्रय हेतु लाइसेंस निर्गत किया गया। 19-5-2011

ANKITA
LF-012

Scanned with OKEN Scanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP56015591045282X

e-Stamp

Annexure-3

Certificate No.	:	IN-UP56015591045282X
Certificate Issued Date	:	21-Nov-2025 02:20 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14380304/ BIJNOR SADAR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14380304088314709958 49X
Purchased by	:	AMBAR ABBAS SO NAYYAR KAZIM
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	AMBAR ABBAS SO NAYYAR KAZIM
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	AMBAR ABBAS SO NAYYAR KAZIM
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Please write or type below this line

शपथ पत्र

समक्ष- 1-उपजिलाधिकारी , तहसील-सदर, जनपद बिजनौर।

2-क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस) सदर, जनपद बिजनौर।

3-मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, बिजनौर।

4-सहाय श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), बिजनौर।

5-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड , बिजनौर।

शपथ पत्र मिनजानिब — अम्बर अब्बास पुत्र श्री नय्यर काजिम निवासी मौहल्ला 51/13 रसूलपुरान कस्बा नहटौर तहसील धामपुर जिला बिजनौर।

शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न बयान करता है कि —

1- यह कि मेरा उपरोक्त लिखा नाम व पता सही हैं ।

2- यह कि शपथकर्ता का आतिशबाजी विनिर्माण लाईसेन्स नं0-118/2011 (प्रारूप-20) है जो दिनांक 31.03.2028 तक वैध हैं । (छायाप्रति संलग्न है)

.....2....

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner

3- यह कि शपथकर्ता का आतिशबाजी विनिर्माण लाईसेंस स्थल झालू से गंगोड़ा रोड खाता सं0- 00146, खसरा नं0- 252 ख, रकबा-0.0950 है0 ग्राम हसनपुर काजी परगना दारानगर तहसील व जनपद बिजनौर में है।

4- यह कि शपथकर्ता माह फरवरी 2024 से मानको का पालन करते हुऐ अग्निशमन यन्त्र एंव पानी के भण्डारण की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ कार्य कर रहे थे।

5-यह कि दिनांक 19.05.2024 को घटना के समय मैं घटना स्थल पर उपस्थित नही था मुझे नही पता हैं कि वहा किस तरह से दुर्घटना घटी।

6-यह कि दिनांक 19.05.2024 की दुर्घटना के बाद से वहां कोई किसी भी तरह का विनिर्माण कार्य नही किया जा रहा है।

7-यह कि उक्त घटना का एक केस न्यायालय अपर जिला जज (पोक्सो एक्ट) बिजनौर सत्र परिक्षण सं0- 1736/2024 मु0अ0स0- 136/2024 सरकार बनाम शानू उर्फ ताजुद्दीन आदि धारा 304,336 आई0पी0सी0 व 9बी विस्फोटक अधि0 थाना हल्दौर विचाराधीन हैं। (आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

8-यह कि शानू उर्फ ताजुद्दीन पुत्र श्री रियाजुद्दीन वहां मजदूरो से काम कराता था।

9-यह कि शपथ पत्र का पैरा नं0 01 ता 08 मेरे निजी ज्ञान में सत्य व सही हैं कुछ छिपाया नही गया हैं खुदा मेरी मदद करे।

Ambar Abbas

ग0श0 शपथकर्ता के हस्ताक्षर

NOTARY
Advocate, Notary
Mahesh Chandra
Reg.No. 17965/2020
BIJNOR (U.P.)
GOVT. OF INDIA

21/11/25
Ambar Abbas
who has been identified by
who is personally known to me
whose signature(s) ... hereunto appended

Mahesh Chandra Advocate
Notary, Bijnor (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

Form -20

(See Rule – 155) Article 1 (A) - (D) of Schedule IV)
(License to Manufacture , Explosives) Fire Works License for Manufa
Storage , Sale , & Transportation

License No:- 118/2011 Fee Rs:- 20/ (Per Year)

Licensed is here by granted to Mr. अम्बार अब्बास पुत्र श्री नय्यर काज़िम निवासी मौ. खुरूलखरान नहटौर P.S. नहटौर जिला बिजनौर
Valid only for the manufacturing of (150) kg at any one time per year at the premises described below subject to the provision of Explosive act, 1884 as amended from time to time and the rules, framed there under and to the conditions of this License.

This License shall remain valid till 31st day of March 2012

This License is label to be suspended or revoked for any violation of the act or rules, framed there under or the condition of this License or if the Licensed premises are not found confirming to the description shown in the attach plans and Annexure.

Description of the Licensed Premises :-

The Licensed Premises shown in plan attach here to situated at (नूरपुर – नहटौर रोड 42 (खाता सं० 867) क्षे० 0.0473 हे०). District :- BIJNOR, and consist of postal Address of the License (BIJNOR) U.P.

जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 8.06.2023 के अन्तर्गत आवेदक अम्बार अब्बास S/o श्री नय्यर काज़िम निवासी 81/13 खुरूलखरान PS नहटौर के आतिशबाजी लाइसेंस सं० 118/2011 के फार्म बीस (20) पर निम्न पता ग्राम हासनपुर धनी, परगना हरानगर तह० व जिला बिजनौर में निम्न चौहद्दी के अनुसार पूर्व में खेत मो० बीजुद्दीन, पश्चिम में बाग हलीमुद्दीन, उत्तर में ... जो अनुरूप परिसर में रास्ता परिवर्तित किया गया।

SEAL

The 25/1/2011 D.M के आदेश [signature] 1/6/2023 DISTRICT MAGISTRATE
31-12-2019 19-05-2011 को जारी BIJNOR

Renewed up to ...

O.C. Arm's
Magistrate BIJNOR

ENDORSMENT FOR RENEWAL OF LICENSE

DATE OF RENEWAL	DATE OF EXPIRY	SIGNATURE OF LICENCING AUTHORITY
19.5.2011 31-3-14 [signature] Renewed up to 01/11/12 31-3-2015 O.C. (Arm's) BIJNOR 3-7-2014	31-3-2012 31-3-2014 31-3-2015 31-3-2016 31-3-2019 31-3-2028 Renewed up to 31-3-2016 O.C. Arm's BIJNOR	जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर के आदेश दिनांक 25-1-2011 के अन्तर्गत आतिशबाजी निर्माण एवं विक्रय हेतु लाइसेन्स निर्गत किया गया। [signature] 19-5-2011

ANKITA
LF-012

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर
सत्र परीक्षण संख्याः–1736/2024
मुकदमा अपराध संख्या–136/2024
सरकार बनाम शानू उर्फ ताजुददीन व अन्य

आरोप

मैं, **एम0पी0 सिंह**, सत्र न्यायाधीश, बिजनौर आप **शानू उर्फ ताजुददीन** व **अम्बर अब्बास** पर निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूँः–

1– यह कि दिनांक 19–05–2024 को समय लगभग 08:00 बजे, बहद स्थान पटाखा फैक्ट्री झालू से गंगोडा जट जाने वाले रास्ते पर, अन्तर्गत क्षेत्र थाना हल्दौर, जिला बिजनौर मे आपके द्वारा अपनी पटाखा आपकी फैक्ट्री में आवश्यक आग बुझाने के उपकरण स्थापित नही किये व बहुत अधिक मात्रा में पटाखा व बारूद एक साथ इकट्ठा रखा गया, जिस कारण आपकी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से वादी के भाई अमित की मौके पर अन्य चिकू व रजत की दौराने इलाज मृत्यु हो गयी। आपका उक्त कृत्य हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 304** के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपके द्वारा अपनी पटाखा फैक्ट्री मे आवश्यक आग बुझाने के उपकरण स्थापित नहीं किये व बहुत अधिक मात्रा में पटाखा व बारूद एक साथ इकट्ठा रखा गया। इस प्रकार आपकी लापरवाही के कारण पटाखा फक्ट्री मे विस्फोट होने से मानव जीवन सकटापन्न हो गया। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 336** के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आपके द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक विस्फोटक पदार्थ का विनिर्माण किया गया तथा फैक्ट्री में बहुत अधिक मात्रा मे पटाखा व बारूद एक साथ इकट्ठा रखा गया। इस प्रकार आपने विस्फोटक अधिनियम की धारा 9ख के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉकः–19.12.2024

केन्द्रीय प्रतिलिपि विभाग ★ जिला जजी, बिजनौर ★

(एम0पी0 सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्तगण ने इकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉकः–19.12.2024

(एम0पी0 सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
बिजनौर।

Compared 36

प्रबन्धक,
अपर जिला जज (पोक्सो एक्ट)
बिजनौर

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि विभाग
जिला जजी, बिजनौर
11/1/25

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-4

रजिस्टर्ड

पत्रांक 2265 /बिज0-25 दिनांक- 21-11-2025

आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर एवं सहायक श्रमायुक्त, बिजनौर।

(कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 10-ए के अंतर्गत नोटिस)

श्री अम्बर अब्बास पुत्र श्री नैयर काजिम
निवासी 51/13 रसूलदारान, पो0 व थाना नहटौर
तहसील धामपुर, जिला बिजनौर।

आपको सूचित किया जाता है कि आपकी पटाखा फैक्ट्री गंगोड़ा जट झालू जिला बिजनौर में दिनांक 19.05.2024 को हुए तीव्र विस्फोट में निम्न 03 श्रमिकगणों की मृत्यु हुई है, किन्तु आप द्वारा मृतक श्रमिकगणों के आश्रितगणों को प्रतिकर धनराशि भुगतान हेतु इस न्यायालय में जमा नहीं की गयी है जो निम्नवत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नवत प्रतिकर धनराशि मृतक आश्रितों को भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर/सहायक श्रमायुक्त, बिजनौर के पद नाम से एक सप्ताह के भीतर जमा किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि वसूली हेतु वसूलयावी कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

(के0 के0 गुप्ता)
आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर एवं
सहायक श्रमायुक्त, बिजनौर।

भारतीय डाक
India Post

Avas Vikas Bijnor S.O
EU577000617IN, IVR No
22/11/2025 11:07:15, ... No 1,
To: AMBAR ABBAS
RASOOLDARAN, BIJNOR, 2467..
From: CO SAHAYAK SHRAMAYUKT
NEAR SBI UNIKAJ WA, BIJNOR, 246701
Base Amt: 47.00, CGST:4.00, SGST:4.00
To: AMBAR ABBAS
P.Mode: Cash, Prepaid: 55 (P3)
POD:No, www.indiapost.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

श्रम विभाग

आज दिनांक 20.11.2025 को जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम द्वारा पटाखा फैक्ट्री स्थल गंगोड़ा जाट, पोस्ट झालू, थाना हल्दौर , जिला बिजनौर की स्थलीय जाँच की गयी। मौके पर फैक्ट्री बंद पायी गयी एवं किसी भी प्रकार का कार्य होता नहीं पाया गया। स्थलीय जाँच के समय पटाखा फैक्ट्री के स्वामी श्री अंबर अब्बास पुत्र श्री नैयर काजिम मोहल्ला 51/13 रसूलदारान, कस्बा नहटौर, पो0 थाना नहटौर तह0 धामपुर, जिला बिजनौर उपस्थित मिले। उक्त पटाखा फैक्ट्री में दिनांक 19.05.2024 को हुए तीव्र विस्फोट में 03 श्रमिक की मृत्यु हो गयी थी।

उक्त मृतक श्रमिक एवं उनके आश्रितगणों का नाम, पता एवं निर्धारित कर्मकार प्रतिकर की देय योग्य धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं0	मृतक का नाम,पता, उम्र एवं वेतन	आश्रितगण का नाम	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत देय योग्य धनराशि
01	चिंकू पुत्र श्री अनूप कुमार निवासी ग्राम खारी, पोस्ट खारी (झालू), थाना हल्दौर, तह0 एवं जिला बिजनौर पिन-246728 उम्र- जन्म तिथि 08.05.2005 से घटना की तिथि 19/05/2024 को आयु- 19 वर्ष वेतन- 10648/- प्रतिमाह 03 माह से कार्यरत बताया गया।	1 – श्री अनूप पुत्र श्री हरपाल सिंह (पिता) 2- श्रीमती रूपा देवी पत्नी अनूप (माता)	$\frac{10648 \times 226.38}{2}$ = **12,05,247.12** (बारह लाख पाँच हजार दो सौ सैंतालिस रूपये)
02	अमित पुत्र श्री कुलवीर सिंह निवासी ग्राम गोपालपुर, पो0 खारी (झालू), थाना एवं तहसील एवं जिला बिजनौर । पिन- 246728 उम्र- जन्मतिथि- 02/04/1997 से 19/05/2024 को आयु- 27 वर्ष वेतन- 10648	1 – श्रीमती आदेश देवी पत्नी कुलवीर सिंह (माता) 2- श्री कुलवीर सिंह पुत्र स्व0 थानो सिंह (पिता)	$\frac{10648 \times 213.57}{2}$ = **11,37,046.68** (ग्यारह लाख सैंतीस हजार छियालिस रूपये)
03	रजत कुमार रवि पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम गोपालपुर, पो0 खारी (झालू), थाना व तहसील एवं जिला बिजनौर, पिन- 246728 उम्र- जन्मतिथि- 10-02-1999 से 19/05/2024 को आयु- 25 वर्ष वेतन- 10648	1 –श्रीमती अर्चना पत्नी स्व0 रजत कुमार रवि (पत्नी) 2- श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भरता (पिता)	$\frac{10648 \times 216.91}{2}$ = **11,54,828.84** (ग्यारह लाख चौवन हजार आठ सौ अट्ठाईस)

उपरोक्त धनराशि आश्रितगणों को देने के लिए सेवायोजक को नोटिस प्रेषित किये जा रहे हैं।

KK Gupta

(के0 के0 गुप्ता)
सहायक श्रमायुक्त,
बिजनौर।

Scanned with OKEN Scanner

जिला अदालत बिजनौर
District Court Bijnor
e-Courts Mission Mode Project

Annexure-5

HOME ABOUT COURT SUPREME COURT HIGH COURT SERVICES INDIA CODE DOCUMENTS NOTICES MORE

Home > Services > Case Status > Case Status : Search by Petitioner/Respondent

Case Status : Search by Petitioner/Respondent

Case Number | FIR Number | Party Name | Advocate Name | Case Code | Act | Case Type

Back

District and Session Judge

In The Court Of : Additional District and Session Judge/POCSO

CNR Number : UPBJ010098582024

Case Number : Sessions Case/0001736/2024

Date : 21-11-2025

State Government **Versus** Shanu urf Tajuddin others

Daily Status

Business	Next Purpose	Next Hearing Date
--	Remaining Evedence	10-12-2025

Print

Back

Scanned with OKEN Scanner

Annexure P/6

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन,
राहत आयुक्त कार्यालय,
लखनऊ।

पत्रांक 590 /तीन–सी0आर0ए0–दैवीय आपदा/2025–26 बिजनौर दिनांक 29 नवम्बर 2025

विषय :– **दिनांक 19.05.2024 को पटाखा फैक्ट्री ग्राम हसनपुर काजी परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर खसरा नम्बर–252 ख रकबा 0.0950 हे0 में अचानक आग लगने से हुई दुर्घटना में मृतको के परिजनों को अहैतुक सहायता दियें जाने हेतु मार्गदर्शन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उपजिलाधिकारी बिजनौर द्वारा अपने पत्र संख्या 3013/र0का0– 2025 दिनांक 28.11.20225 के द्वारा अवगत कराया है कि तहसील क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 19.05.2024 को पटाखा फैक्ट्री ग्राम हसनपुर काजी परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर खसरा नम्बर–252 ख रकबा 0.0950 हे0 में अचानक आग लगने से 03 मजदूरों की मृत्यु हो गयी थी, जिनका पोस्टमार्टम व पंचनामा कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क0 सं0	मृतक का नाम व पिता का नाम	पता	उम्र	घटना स्थल का नाम
01	स्व0 चिंकू पुत्र श्री अनूप कुमार	ग्राम व पोस्ट खारी परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर।	19 वर्ष	पटाखा फैक्ट्री ग्राम हसनपुर काजी परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर
02	स्व0 अमित पुत्र श्री कुलवीर सिंह	ग्राम गोपालपुर पोस्ट खारी (झालू) परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर।	27 वर्ष	
03	स्व0 रजत कुमार रवि पुत्र श्री ओमप्रकाश	ग्राम गोपालपुर पोस्ट खारी (झालू) परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर।	25 वर्ष	

उक्त प्रकरण में मृतक रजत कुमार रवि पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम गोपालपुर पोस्ट खारी(झालू) परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर के नाम राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि अंकित होने के फलस्वरूप मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कार्य योजना के अर्न्तगत रू0 5,00,000/– लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। शेष मृतक चिंकू पुत्र श्री अनूप कुमार निवासी ग्राम खारी व मृतक स्व0 अमित पुत्र श्री कुलवीर सिंह निवासी ग्राम गोपालपुर पोस्ट खारी(झालू) परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर के नाम तहसील क्षेत्रान्तर्गत राजस्व अभिलेखों में भूमि अंकित न होने के कारण कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है, साथ यह भी अवगत कराना है कि प्रकरण में पटाखा फैक्ट्री स्वामी के नाम थाना हल्दौर जिला बिजनौर में एफ0आई0आर0दर्ज है। प्रकरण में मृतक के आश्रितों को दैवीय आपदा के अर्न्तगत रू0 4–00 लाख प्रति मृतक अहैतुक सहायता प्रदान किया जाना है, अथवा नहीं हेतु मार्ग दर्शन दियें जाने हेतु अनुरोध करते हुए आख्या प्रस्तुत की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपजिलाधिकारी बिजनौर की आख्या दिनांक 28.11.2025 के आधार पर मृतक चिंकू पुत्र श्री अनूप कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट खारी परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर व मृतक स्व0 अमित पुत्र श्री कुलवीर सिंह निवासी ग्राम गोपालपुर पोस्ट खारी(झालू) परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर के आश्रितों को दैवीय आपदा के अर्न्तगत अहैतुक सहायता प्रदान कियें जाने के सम्बन्ध में आवश्यक मार्ग दर्शन एवं दिशा–निर्देश देने का कष्ट करें।

सलंग्नक :– उपजिलाधिकारी बिजनौर की आख्या
दिनांक 28.11.2025

भवदीय

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी,बिजनौर।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांक– 3013 /र0का0–2025

दिनांक– 28.11.2025

विषय– दिनांक 19.05.2024 को पटाख फैक्ट्री स्थित ग्राम हसनपुर काजी खसरा न0 252ख रकबा 0.095 हे0 मे अचानक हुई दुर्घटना (अग्निकाण्ड) मे मृतको के परिजनो को अहतुक सहायता दिये जाने हेतु मार्गदर्शन के सम्बन्ध मे।

अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)
बिजनौर।

महोदया,

सादर अवगत कराना है कि जनपद की तहसील बिजनौर मे स्थित ग्राम हसनपुर काजी परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री मे पटाखा बनाते समय आग लगने से तीन मजदूरो की मृत्यु हो गयी थी। जिनका पोस्टमार्टम व पंचनामा कराया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

1– श्री चिंकू पुत्र श्री अनूप कुमार, आय 19 वर्ष, निवासी ग्राम खारी, पोस्ट खारी (झालू) तहसील व जिला बिजनौर।

2– श्री अमित पुत्र श्री कुलवीर सिंह, आयु 27 वर्ष, निवासी ग्राम गोपालपुर पोस्ट खारी (झालू) तहसील व जिला बिजनौर।

3– श्री रजत कुमार रवि पुत्र ओमप्रकाश, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम गोपालपुर पोस्ट खारी (झालू) तहसील व जिला बिजनौर।

उक्त प्रकरण में मृतक श्री रजत कुमार रवि पुत्र ओमप्रकाश आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम गोपालपुर पोस्ट खारी (झालू) तहसील व जिला बिजनौर के नाम राजस्व अभिलेखो मे कृषि भूमि अंकित होने के फलस्वरूप मृतक के परिजनो को मु0कृ0दु0क0 योजना के अर्न्तगत 5.00000/–(पांच लाख रूपये) की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। शेष मृतक श्री चिंकू पुत्र अनूप कुमार व श्री अमित पुत्र कुलवीर सिंह के नाम कोई कृषि भूमि दर्ज न होने के कारण कोई आर्थिक सहायता प्रदान नही की गई है साथ ही अवगत कराना है कि प्रकरण में पटाखा फैक्ट्री स्वामी के नाम थाना हल्दौर जनपद बिजनौर मे एफ0आई0आर0 दर्ज हुई थी।

अतः महोदया से सादर अनुरोध है कि प्रकरण में दैवीय आपदा के अर्न्तगत मृतक के परिजनो को रू0 4.00000–4.00000/– की अहतुक सहायता प्रदान किया जाना है अथवा नहीं हेतु मार्गदर्शन करने की कृपा करे। आख्या महोदया की सेवा मे सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
सदर,बिजनौर।

उपजिलाधिकारी
सदर, बिजनौर।